न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : 01/2013 नामान्तरकरण अपील

1. श्रीमति छोटी बेवा खाजूखॉं जाति मुसलमान
2. खातुन पुत्री खाजूखॉं
3. जैतून पुत्री खाजूखॉं
   जाति मुसलमान निवासी जगनेर तुर्कान तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
4. धौसी पुत्री निवाज खां पत्नि ईदू खां (फौत)
   4/1 हनीफ उर्फ लीला } पिसरान ईदू खां
   4/2 शब्बीर }
   4/3 अन्नी पत्नि नूर मोहम्मद पुत्रवधू ईदू खां
   4/4 मुराद पुत्र नूर मोहम्मद पौत्र ईदू खां
   4/5 सोहिल पुत्र नूर मोहम्मद पौत्र ईदू खां
   4/6 गुल्लया पुत्र नूर मोहम्मद पौत्र ईदू खां
   समस्त जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला दौसा।

अपीलान्ट्स

<u>बनाम</u>

1. सुलेमान पुत्र उमरखॉं जाति मुसलमान निवासी जगनेर तुर्कान तहसील रामगढ पचवारा पूर्व तहसील लालसोट जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट।

रेस्पोडेन्ट्स

<u>अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 178 तहसीलदार लालसोट दिनांक 15.05.1993 ग्राम जगनेर तुर्कान तहसील लालसोट।</u>

उपस्थिति : श्री अशोक कुमार जोशी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उप0।

<u>:- निर्णय :-</u> दिनांकः 18.12.2017

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जगनेर तुर्कान तहसील लालसोट में आराजी खसरा नं. 20 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 32 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 33 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं. 37 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा कुल रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा स्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में घासीखा, खाजूखा पिसरान निवाज खां के नाम से दर्ज है। उक्त आराजीयात में अपीलान्ट नं. 1,2,3 के पूर्वज खाजूखा का हिस्सा 1/2 था। खाजूखा की मृत्यु 15.3.1990 को हुई है तथा दिनांक 1.6.1989 को अपीलान्ट नं. 1 का पति व 2, 3 का

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

पिता खाजूखा जिन्दा था परन्तु घासीखा एक चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति था तथा अपीलान्ट नं. 1,2,3 के पति व पिता खाजूखा जो कि एक अनपढ देहाती अशिक्षित व्यक्ति था। जो राजस्व रिकार्ड आदि के सम्बन्ध में नही समझता था। मृतक घासीखा ने कैम्प अभियान बिदरखा में राजस्व कर्मचारीयो व पटवारी हल्का से साज करके दिनांक 30.5.1987 को खाजूखा को मृतक बताकर व साज व षडयंत्र कर नामान्तरकरण सं. 134 विरासत का अवैधानिक तरीके से तस्दीक करा लिया। जबकि दिनांक 01.06.1989 को खाजूखा जीवित था तथा घासीखा ने सम्पूर्ण भूमि खसरा नं. 20, 32, 33, 37, रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा का अवैध तरीके से रेस्पोडेन्ट नं. 01 को दिनांक 24.03.1988 को हिस्सा 1/2 की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी। जबकि खाजूखा के हिस्से की भूमि घासीखा मृतक को विक्रय करने का अधिकार नही था अपीलान्ट ने नामान्तरकरण सं. 134 के विरूद्ध अपील अलग से पेश कर दी है तथा विक्रय पत्र दिनांक 24.03.1988 के आधार पर नामान्तरकरण सं. 178 रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने तस्दीक करा लिया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट्स पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पो0 की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि मृतक घासीखा द्वारा अपीलान्ट नं.01, का पति व 02, 03 का पिता खाजूखा के जीवित रहते हुए दिनांक 01.06.1989 को खाजूखा की विरासत का नामान्तरकरण सं. 134 तस्दीक करवा लिया जबकि खाजूखा की मृत्यु दिनांक 15.03.1990 को हुई थी तथा खाजूखा के पश्चात सम्पूर्ण भूमि घासीखा ने अपने नाम करवा ली तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई जांच किये प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 178 विक्रय का रेस्पोडेन्ट नं. 01 के नाम तस्दीक कर दिया जबकि घासीखा को सम्पूर्ण भूमि बेचने का हक नही था इस बाबत गिरदावर द्वारा उक्त नामान्तरकरण पर नोट अंकित किया था कि वर्तमान में पूर्ण खाता घासीखा के नाम अंकित है इसलिए 1/2 के बेचान का नामान्तरकरण नियमानुसार नही है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट को नजर–अंदाज कर प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार सन् 1982 से नामान्तरकरण का प्रथम अधिकार ग्राम पंचायत को होता है। यदि 45 दिवस तक ग्राम पंचायत नामान्तरकरण पर कोई कार्यवाही नही करे तो उसके पश्चात तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया जाता है किन्तु प्रश्नगत नामान्तरकरण ग्राम पंचायत में पेश ही नही किया गया तथा ना ही ग्राम पंचायत की कोई रिपोर्ट आये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक कर कानूनी भूल की है। प्रश्नगत नामान्तरकरण अवैधानिक एवं गैर नियमानुसार होने कारण निरस्त योग्य है। प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट्स को दिनांक 22.11.2012 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई। तत्पश्चात नकल प्राप्त कर जानकारी के अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद सहित अपील पेश की गई है। वैसे भी अवैध नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश करने की कोई मियाद नही होती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

जवाब बहस मे राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 178 दिनांक 15.05.1993 को ग्राम विकास शिविर में तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक किया गया है। तथा उक्त नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। प्रश्नगत नामान्तरकरण के विरूद्ध उक्त अपील 19 वर्ष पश्चात पेश की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

नामान्तरकरण सं0 178 को विक्रय पत्र दिनांक 24.3.1988 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.11.92 को नामान्तरकरण भरे जाने के पश्चात आई.एल.आर. की रिपोर्ट दिनांक 30.11.92 के मुताबिक वर्तमान में पूर्ण खाता घासीखां के नाम अंकित होना इसलिये 1/2 हिस्से के बेचान का नामान्तरकरण नियमानुसार नही है। बावजूद इसके तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 15.5.93 को उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान व्यक्त किया गया है कि नामान्तरकरण प्रथमतः तस्दीक करने का प्रथम अधिकार ग्राम पंचायत का होते हुये भी ग्राम पंचायत में पेश नही किया गया। मूल नामान्तरकरण का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपेक्षित जांच व विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। चूंकि प्रश्नगत नामान्तरकरण से अपीलान्ट्स के हक प्रभावित होना प्रतीत होता है। इसलिये अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 178 दिनांक 15.5.93 ग्राम जगनेर तुर्कान तहसील लालसोट वर्तमान तहसील रामगढ पचवारा को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिया जाकर प्रकरण में वास्तविक तथ्यों की जांच कर विधिक प्रकिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित कर नियमोचित कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 18.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा